राजस्थान सरकार (प्रपत्र – 8)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प पालास

–: आदेश :–

आवेदक के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पालास व भू.अ.नि. रामगढ़ की रिपोर्ट तथा उपखण्ड रामगढ़–**शेखावाटी** की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत ग्राम नेडवा तहसील **रामगढ़–शेखावाटी** व जिला **सीकर** की जमाबन्दी 2074-77 में खाता संख्या 235 नया 206 पुराना में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नानुसार रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
नेडवा	235 नया 206 पुराना	गोविन्द पुत्र तेजदान सा. खरेंटा की ढाणी	गोविन्द दान पुत्र तेजदान सा. देह
रहन व अन्य प्रविष्टि	यथावत	सहदेव पुत्र तेजदान सा. खरेंटा की ढाणी	सहदेवदान पुत्र तेजदान सा. देह

( )

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (सीकर)
लोक अदालत
ग्राम पंचायत..... 2018

103
15.5.18

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–**शेखावाटी** को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भेजावें।

आवेदक गोविन्ददान व सहदेव पुत्र तेजदान जाति चारण सा. नेडवा को सूचनार्थ भेजी जावावें।

( )